(e) Measures taken to prevent smuggling of cattle from India to Bangladesh include strengthening of BSF and customs fields formations, increased/ intensified patrolling and vigilance at the Border, erecting of border fencing, strengthening of Intelligence network and equipping field formations with better means to combat smuggling.

Closure of Bangur Chromite mine in Orissa

1323. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of workers affected to the closure of Bangur Chromite mine in Orissa;

(b) the alternative employment proposed to be provided to those mine workers; and

(c) the steps taken in that direction?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) 498.

(b) The mines have resumed working with effect from 1st December, 1995 and the affected workmen have been re-employed in terms of the Settlement arrived at before the Regional Labour Commissioner (Central), Bhubaneshwar on 17th November, 1995.

(c) Does not arise.

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा बंधुआ मजदूरी के संबंध में दिया गया वक्तव्य

1324. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 17 अक्तूबर, 1995 के जनसत्ता के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों से बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो सुझाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में बंधुआ और बाल मजदूरों के संबंध में राज्य-वार आंकड़े क्या-क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) इस संबंध में तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 17.10.95 को जनसत्ता में रिपोर्ट किए गए अनुसार, मानवाधिकार आयोग ने 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों से पत्थर खदानों, सड़क निर्माण और कालीन उद्योग के क्षेत्रों में बंधित श्रम प्रथा की विद्यमानता का पता लगाने के लिए इन क्षेत्रों में विशेष सर्वेक्षण करवाए जाने का आग्रह किया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने पूरे देश में बंधित श्रम प्रथा के पूरी तरह से उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार, पहचान किए गए बंधुआ श्रमिकों को मासिक रिपोर्टों और वार्षिक बैठकों के माध्यम से वार्षिक लक्ष्यों के निर्धारण और गहन प्रबोधन के जरिए पुनर्वासित करती है। चालू वर्ष हेतु 5700 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बंधुआ श्रमिकों और बाल श्रमिकों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न है।

विवरण

(क) बंधुआ श्रमिकों के ब्यौरे संबंधी विवरण

राज्य का नाम	बंधुआ श्रमिकों की संख्या	
	पहचान किए गए और मुक्त कराए गए	31.3.95 तक पुनर्वासित
आन्ध्र प्रदेश	36,289	23,971
बिहार	12,986	12,180
कर्नाटक	62,708	55,109
मध्य प्रदेश	12,804	11,897
उड़ीसा	49,971	46,804
राजस्थान	7,478	6,014
तमिलनाडु	38,886	39,261
महाराष्ट्र	1,382	1,300
उत्तर प्रदेश	27,489	27,469
केरल	823	710
हरियाणा	544	21
गुजरात	64	64
कुल:	2;51,424	2,29,800

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1981 की जनगणना
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,05,312
2.	असम	* *
3.	बिहार	1,10,01,764
4.	गुजरात	6,16,913
5.	हरियाणा	1,94,189
6.	हिमाचल प्रदेश	99,624
7.	जम्मू और कश्मीर	2,58,437
8.	कर्नाटक	11,31,580
9.	केरल	92,854
10.	मध्य प्रदेश	1,698,597
11.	महाराष्ट्र	15,57,756
12.	मणिपुर	20,217
13.	मेघालय	44,916
14.	नागालैण्ड	16,235
15.	उड़ीसा	7,02,293
16.	पंजाब	2,16,989
17.	राजस्थान	8,19,605
18.	सिक्किम	8,561
19.	तमिलनाडु	9,75,055
20.	त्रिपुरा	24,204
21.	उत्तर प्रदेश	14,34,675
22.	पश्चिम बंगाल	605,263
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,309
24.	अरूणाचल प्रदेश	17,950
25.	चंडीगढ़	1,986
26.	दादर और नगर हवेली	3,615
27.	दिल्ली	25,717
28.	गोवा, दमन व दीव	9,378
29.	लक्षद्वीप	56
30.	मिजोरम	6,314
31.	पांडिचेरी	3,606
		13,640,872

** असम में उस समय पाई जाने वाली अशान्त परिस्थितियों के कारण 1981 की जनगणना नहीं करवायी जा सकी थी।

उचित दर की दुकानों को घटिया स्तर के खाद्यान्नों की आपूर्ति किया जाना

1325. **श्री अजीत जोगी: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उचित दर की दुकानों को घटिया स्तर के गेहूं, चीनी और चावल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि राशन कार्डधारी उचित दर की दुकानों से केवल चीनी खरीदते हैं और गेहूं और चावल के घटिया स्तर के होने के कारण वे बाजार में महंगा होने के बावजूद उचित दर की दुकानों से इन्हें खरीदना पसंद नहीं करते हैं;

(ग) यदि हां, तो उचित दर की दुकानों में अच्छे किस्म के गेहूं, चावल और चीनी की आपूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं और चीनी सहित मुख्य आवश्यक वस्तुओं का थोक में आवंटन करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को वस्तुओं के वितरण से संबंधित सभी प्रचालनात्मक पहलू राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र के तहत आने वाले मामले हैं। केन्द्रीय सरकार को उचित दर दुकानों में घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विशाल आकार के कार्य में, जहां 4.25 लाख से भी अधिक उचित दर दुकानों के तंत्र के जरिए प्रतिवर्ष लाखों टन चावल, गेहूं और चीनी का वितरण किया जाता है, यत्र-तत्र कुछ कमियों से पूर्णतः इंकार नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप चावल और गेहूं के स्टॉक जारी करती है। भारतीय खाद्य निगम को केवल वही स्टाक जारी करने के अनुदेश दिए गए हैं जो कीड़े युक्त न हों और खाद्य अपमिश्रण